राजधानी में बसेंगे पांच नए उपनगर

उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी दिल्ली में विकसित होंगे

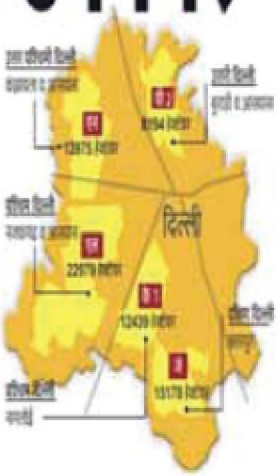

मास्टर प्लान

ऐसे होंगे हालात

वर्तमान आबादी	1.82 करोड़
वर्ष 2021 में अनुमानित आबादी	2.30 करोड़
आवास की कमी होगी	11.5 लाख
प्रस्तावित 5 उपनगरों में बसेंगे	70 लाख

---

150 किलोमीटर होगा दायरा, तीन राष्ट्रीय राजमार्गों को वजीराबाद से जोड़ेंगे

दिल्ली को ट्रैफिक जाम से बचाएंगे तीन नए रोड

नई दिल्ली | प्रमुख संवाददाता

भारी वाहनों को राजधानी में आने से रोकने के लिए तीन नए रोड बनाए जाएंगे। अर्बन एक्सटेंशन रोड नामक इस योजना के एक रोड पर काम भी शुरू हो गया है। ये रोड तीन राष्ट्रीय राजमार्गों को वजीराबाद से जोड़ेंगे।

ये आपस में इस प्रकार से जोड़े जाएंगे कि कोई भी व्यक्ति इनके माध्यम से न केवल राजधानी के आंतरिक इलाके में प्रवेश कर सकेगा बल्कि बिना भीतर आए अन्य राज्य में भी जा सकेगा। करीब डेढ़ सौ किलोमीटर लंबे इन रोड को तीन चरणों में वर्ष 2015 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सीपीडब्ल्यूडी और डीडीए मिलकर यह काम करेंगे।

शहरी विकास मंत्रालय के निर्देश पर इस योजना का खाका खींचने के बाद अर्बन एक्सटेंशन रोड-2 पर काम शुरू कर दिया गया है। अन्य रोड के लिए अभी जमीन अधिग्रहण को लेकर कुछ दिक्कतें हैं, जिन्हें दूर करने के लिए डीडीए और अन्य विभाग के अधिकारी स्थानीय लोगों के साथ दीपावली के बाद बैठक बुलाने के लिए मंथन में जुटे हैं।

साथ ही एक्सटेंशन रोड के निर्माण के लिए अन्य संभावनाओं को भी तलाशा जा रहा है, ताकि बाधा बन रहे निर्माणों को हटाने के बजाय वहां एलिवेटिड रोड बनाया जाए। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने इस मसले पर गंभीरता से विचार करने के लिए कहा है।

इस मामले में मास्टर प्लान 2021 में संशोधन के लिए बनाई गई कमेटी ने भी संभावनाओं को तलाशने के लिए सुझाव दिए हैं। इनमें से रोड डिजाइन को नए सिरे से बनाने, बाईपास से राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने के लिए कनेक्टीविटी सड़कों को अलग से बनाने तथा एलिवेटिड मार्ग बनाने के सुझाव सबसे बेहतर समझे जा रहे हैं।

अर्बन एक्सटेंशन रोड-1

करीब 57.24 किलोमीटर लंबा होगा। यह वजीराबाद बाइपास से राष्ट्रीय राजमर्ग-1, 8 और 10 को जोड़ेगा। इससे नरेला, बवाना, टीकरी कलां, मितराऊ बिजवासन और रजोकरी के लोगों को फायदा होगा।

अर्बन एक्सटेंशन रोड-2

लगभग 73.7 किलोमीटर लंबा होगा। यह सड़क भी वजीराबाद बाइपास से होते हुए रोहिणी फेज चार व पांच के नजदीक राष्ट्रीय राजमार्ग-1, 8 व 10 को जोड़ेगी। इसके तैयार होने से नजफगढ़, छावला, मुंडका, बकरवाला, ढिचाऊकलां, व दवरिया से राष्ट्रीय राजमार्ग-8 और शिवमूर्ति से होते हुए बदरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-2 को जोड़ेगी।

अर्बन एक्सटेंशन रोड-3

इस रोड की लंबाई करीब 20.08 किलोमीटर है। यह वजीराबाद बाइपास से बख्तवार पुर, रोहिणी फेज तीन, बेगमपुर, अमर कॉलोनी से होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग एक से राष्ट्रीय राजमार्ग आठ को जोड़ेगी।

विरोध कर रहे किसान

डीडीए अधिकारियों का कहना है कि अर्बन एक्सटेंशन रोड-2 पर काम शुरू किया जा चुका है। लेकिन स्थानीय किसानों के विरोध के चलते अब नक्शे में बदलाव के बारे में विचार किया जा रहा है। देखा जा रहा है कि किन स्थानों पर एलिवेटिड मार्ग बेहतर तरीके से बनाया जा सकता है।

पांच उपनगर बसाने की योजना पर लगी मुहर

विशेष

- केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने नई भूमि नीति को किया अधिसूचित

राजू सजवान, नई दिल्ली

आखिरकार लगभग आठ साल बाद दिल्ली में पांच उपनगर बनाने की योजना धरातल पर उतरने वाली है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा दिल्ली की नई भूमि नीति को अधिसूचित कर दिया गया है। इसके तहत अब दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) भूमि अधिग्रहण नहीं करेगा, बल्कि निजी विकासकर्ता किसानों से सीधे जमीन खरीदेंगे और अपार्टमेंट बना कर बेच सकेंगे। मास्टर प्लान-2021 में दिल्ली के बाहरी इलाकों में पांच उपनगर बनाने की योजना बनाई गई थी। फरवरी, 2007 में मास्टर प्लान अधिसूचित कर दिया गया था। जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के तहत उपनगर बनाने के लिए लैंड पुलिंग पॉलिसी तैयार करनी थी। लेकिन डीडीए के ही कुछ अधिकारियों व नेताओं के हस्तक्षेप के कारण यह नीति नहीं बन पाई। पिछले वर्ष से लैंड पूलिंग पॉलिसी बनाने की प्रक्रिया तेज हुई। बीते माह डीडीए की बैठक में पॉलिसी को अंतिम मंजूरी देकर केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय को भेजी गई थी। मंत्रालय ने 5 सितंबर को पॉलिसी पर अंतिम मुहर लगाते हुए अधिसूचना जारी कर दी।

मिलेगा चार सौ एफएआर

पॉलिसी के तहत बसने वाले पांच उपनगरों में सबसे अधिक फ्लोर एरिया रेश्यो (एफएआर) के तहत इमारतें बनेंगी। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यहां बनने वाली आवासीय परियोजनाओं को 400 एफएआर की इजाजत होगी। यानी एक हजार वर्ग मीटर वाले प्लॉट पर 40 फीसद ग्राउंड कवरेज (निर्माण की इजाजत) दी जाएगी। ऐसे में एक हजार वर्ग मीटर पर एक फ्लोर 400 वर्ग मीटर का होगा, जिसमें निर्माणकर्ता दस मंजिला फ्लोर बना सकेगा।

लैंड पुलिंग पॉलिसी के तहत बसेंगे उपनगर

- जिस विकासकर्ता या किसान के पास दो से 20 हेक्टेयर तक जमीन का मालिकाना हक है, वह डीडीए को सारी जमीन दे देगा। डीडीए 48 फीसद जमीन वापस विकासकर्ता को लौटा देगा।
- 20 हेक्टेयर से अधिक जमीन वाले विकासकर्ता को डीडीए 60 फीसद जमीन वापस दे देगा।
- शेष जमीन पर डीडीए सड़क, पानी, सीवर की लाइनें आदि सामुदायिक सुविधा के लिए रख लेगा।
- विकासकर्ता डीडीए से मिली जमीन पर आवासीय व व्यावसायिक परियोजना बना कर बेच सकेगा।

कहां बसेंगे पांच उपनगर

जोन-के1 : बापरौला, बक्करवाला, ढिचाऊंकलां, हस्तसाल, ककरौला, नजफगढ़, नांगलोई, निलोठी।

जोन-एन : कंझावला, रानी खेड़ा, पूठखुर्द, बवाना, सुल्तानपुर डबास, चांदपुर कलां, साउदा।

जोन जे : आयानगर, असोला, छतरपुर, देवली, घिटोरनी, हौज रानी, जोनापुर, मैदान गढ़ी, नेब सराय, पुल प्रह्लादपुर।

जोन-एल : हसनपुर, घेवरा, जाफरपुर कलां, खेड़ा, मुंडका, नजफगढ़ पार्ट, उजवा, ताजपुर।

जोन-पी2 : अकबरपुर माजरा, झड़ोदा माजरा, कमलपुर, खामपुर, नत्थूपुरा, बख्तावरपुर, बुराड़ी, हिरानकी, टिगीपुर,

नोट : जोन से आशय क्षेत्र है, जहां के गांवों की जमीन को नई भूमि नीति में शामिल किया गया है।

राजधानी में 2015 तक बनेंगे तीन नए रिंग रोड

विशेष

- डीडीए ने किए निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर करने के प्रयास तेज
- केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने परियोजना को गंभीरता से लेने के दिए निर्देश

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : तीन राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने के लिए प्रस्तावित तीन अर्बन एक्सटेंशन रोड की राह में आ रही दिक्कतों को दूर करने की कवायद तेज हो गई है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) संभावना तलाश रहा है कि इन सड़कों की राह में बाधा बन रहे निर्माण को हटाने की बजाय वहां ऊपरगामी (एलीवेटेड) सड़कें बनाई जाएं। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा इस परियोजना पर गंभीरता से काम करने के निर्देश के बाद डीडीए की कोशिश है कि इन तीनों सड़कों (जिन्हें दिल्ली के लिए नया रिंग रोड माना जा रहा है) का काम 2015 तक पूरा हो जाए।

डीडीए ने कई साल पहले तीन अर्बन एक्सटेंशन रोड बनाने का निर्णय लिया था। अर्बन एक्सटेंशन रोड-दो पर काम शुरू हो चुका है, लेकिन इसको लेकर जमकर विवाद हो रहा है। इसके लिए डीडीए सैकड़ों बीघा भूमि अधिग्रहित कर 2006 में नोटिस भी जारी कर चुका है, लेकिन यदि डीडीए की योजना के मुताबिक अर्बन एक्सटेंशन रोड बनता है तो कई इलाकों में बसे लोगों को उजड़ना पड़ सकता है। लोग जमकर विरोध कर रहे हैं। इसके चलते दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के अधिकारी अर्बन एक्सटेंशन रोड के नक्शे में बदलाव की सिफारिश कर रहे हैं। हालांकि, अभी तक डीडीए ने कोई ठोस फैसला नहीं लिया है।

कहां-कहां से गुजरेंगे रिंग रोड

- **अर्बन एक्सटेंशन रोड-एक**

  वजीराबाद बाईपास से राष्ट्रीय राजमार्ग 1, 8 व 10 को जोड़ेगी। यह रोड नरेला, बवाना, टीकरी कलां, मितराऊ, बिजवासन व रजोकरी से हो कर गुजरेगी। इसकी लंबाई 57.24 किलोमीटर होगी।

- **अर्बन एक्सटेंशन रोड-दो**

  वजीराबाद बाईपास से रोहिणी फेज चार व पांच होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 1, मुंडका, बकरवाला, ढिचाऊकलां, नजफगढ़, छावला व दवरिया से राष्ट्रीय राजमार्ग आठ और शिवमूर्ति होते हुए बदरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को जोड़ेगी। इसकी लंबाई 79.12 किलोमीटर होगी।

- **अर्बन एक्सटेंशन रोड तीन**

  वजीराबाद बाईपास से बख्तावरपुर, बरवाली, रोहिणी फेज तीन-बेगमपुर, अमर कालोनी के रास्ते राष्ट्रीय राजमार्ग 1 से राष्ट्रीय राजमार्ग 8 को जोड़ेगी। इसकी लंबाई 20.08 किलोमीटर होगी।